

एंटी रैगिंग सेल

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और निर्देशों, यूजीसी के दिशा निर्देशों और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद मारकण्डा रैगिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का पालन कर रहा है। रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से तथा छात्राओं में अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन कराने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत एंटी रैगिंग सेल तथा एंटी रैगिंग दस्ता बनाया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है—

1) एंटी रैगिंग सेल

- 1 डॉ० भारती शर्मा (प्रोक्टर)
- 2 श्रीमती संजुल गुप्ता
3. श्रीमती संतोष
4. डॉ. अंजू
5. डॉ० सोनिया मलिक

2) एंटी रैगिंग दस्ता

- 1 डॉ० मुमताज
2. श्रीमती रीतु मित्तल
3. सुश्री रजनी धवन

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और रैगिंग करने व रैगिंग में मदद करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है। एंटी रैगिंग सेल तथा एंटी रैगिंग दस्ते के मुख्य उद्देश्य हैं —

1. रैगिंग मुक्त वातावरण प्रदान कर सभी छात्राओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, अनुशासित वातावरण बनाना।
- 2 छात्राओं को रैगिंग के हानिकारक प्रभावों तथा सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना।
- 3 छात्राओं को परामर्श और कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान कराना।
- 4 रैगिंग की घटनाओं के खिलाफ तुरन्त और सख्त कार्यवाही करना ताकि छात्राओं को यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- 5 छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा करना ताकि रैगिंग का शिकार होने की स्थिति में वे निर्भीक होकर अपनी बात कह सकें।